2024/18

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

गोविन्दनारायण बनाम सरकार

प्रकरण संख्या :– ~~/2023~~ 13/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	05/02/2024	पत्रावली तहसीलदार आमेर के पत्रांक भू.अ./2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रशासन गांवो के संग का प्राप्त हुआ। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर होवें। नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी के दि. 13/02/2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला– जयपुर	निर्णय
	13/02/2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष ~~अधिवक्ता~~ उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं उपलब्ध [illegible] के आधार पर न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। ~~पत्रावली~~ विस्तृत आदेश पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :– 13 / 2024
जीसीएमएस नं0 :– 2024 / 18
उनवान :– गोविन्दनारायण बनाम सरकार

::– **आदेश** –::

दिनांक:13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा0पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बगवाडा की जमाबंदी के खाता संख्या 106 में खातेदार गोविन्दनारायण पुत्र विजयराम, जगन्नाथ पुत्र विजयराम एवं नानू पुत्र विजयराम के स्थान पर गोविन्दनारायण पुत्र बेणाराम उर्फ विजयराम, जगन्नाथ पुत्र बेणाराम उर्फ विजयराम एवं नानू पुत्र बेणाराम उर्फ विजयराम शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर